झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या–620/CS, दिनांक–18.05.2020 के अनुसार Containment Zone के बाहर **"जिला और अन्तर्जिला में टैक्सी को भाड़े पर चलाने की अनुमति होगी।"** इस क्रम में सभी टैक्सी मालिक/ऑपरेटर को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों के साथ भाड़े पर Containment Zone के बाहर टैक्सी चलाने की अनुमति होगी :–

1. टैक्सी व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूट पास माना जायेगा, इन्हें अलग से पास की लेने की जरूरत नहीं होगी।
2. टैक्सी की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग Sharing Basis पर मान्य नहीं होगा।
3. टैक्सी के चालक को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।
4. टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा।
5. 5 सीटर टैक्सी में ड्राईवर के अतिरिक्त 2 यात्री तथा 6–7 सीटर टैक्सी में ड्राईवर के अतिरिक्त 3 यात्री ही यात्रा के लिए अनुमान्य होंगे।
6. बैठने के समय यात्रियों को Social Distancing का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा।
7. यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
8. यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।
9. यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धुमपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
10. टैक्सी की चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

प्रपत्र

क्र० सं०	दिनांक	यात्री का नाम	पूरा पता	कहाँ से कहाँ यात्रा करना है।	मोबाईल न०

Scanned with CamScanner

11. यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नं० तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नं० निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
12. यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप Install करें एवं उन्हें On रखे।
13. इन शर्तों के साथ राज्य में Cab Aggregators तथा ओला/उबर तथा अन्य भी अपने वाहन चला सकते है।

सभी यात्रियों/टैक्सी चालकों/मालिकों से अनुरोध है कि वे उक्त शर्तों का पालन करें।

19/5/2020

सचिव,
परिवहन विभाग।

Scanned with CamScanner